

19/05/23

पत्रावली पेश ईड। वादी एवं वादी अधिवक्ता अलग।
वादी एवं वादी अधिवक्ता को बार-बार रजिस्टर्ड
लखवाना पेश करने हेतु अग्रसर किये जाने के बावजूद
भी आज दिनांक 19/05/23 तक अप्रार्थियों के रजिस्टर्ड
लखवाना पेश नहीं करके NON COMPLIANCE COURT में
जाने के कारण वादी का वाद NON COMPLIANCE COURT
में खारिज किया जाता है। नोट आज दिनांक 19/05/23
को उर्वे न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली पेश
हुआर टोकट बाद लेख भणार हो।

पुप

लवाण

